उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
जबलपुर
माननीय न्यायाधीश श्री अचल कुमार पालीवाल
के समक्ष

दांडिक अपील क्रमांक 10916/2024

अच्छेलाल आदिवासी
विरूद्ध
मध्य प्रदेश राज्य

अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री बाबू जी चौरसिया

प्रत्यर्थी की ओर से शासकीय अधिवक्ता श्री प्रमोद चौबे

आपत्तिकर्ता की ओर से अधिवक्ता मिस पपिया दास

दिनांक : 16.06.2025 को आरक्षित

दिनांक : 20.06.2025 को घोषित

यह अपील निर्णय के लिए सुने और आरक्षित रखे जाने के बाद आज न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णय सुनाया :–

निर्णय

अपीलार्थी/आरोपी ने यह अपील दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 374(2) के अन्तर्गत द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण अधिनियम 2012 बिजावर, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक 16/2023 (म.प्र. राज्य वि. अच्छेलाल आदिवासी) में पारित निर्णय दिनांक 22.08.2024 के

विरूद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी/आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराकर निम्नानुसार दंडित किया गया हैः–

धारा	कारावास	कारावास की प्रकृति	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में कारावास
धारा 376भा.द.सं.	10 वर्ष दस वर्ष	सश्रम	5000/–(पांच हजार रूपये मात्र)	6 माह (छः माह) का पृथक सश्रम कारावास

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 01.10.2022 को अभियोक्त्री ने थाना भगवां में उपस्थित होकर एक लिखित आवेदन इस आशय का पेश किया कि उसकी उम्र 17 वर्ष है। दिनांक 29.09.2022 की सुबह करीब 5.30 बजे की बात है वह खंदिया की टोरिया में लेट्रिन करके वापस आ रही थी तो वही टोरिया पर उसके गावं का अच्छेलाल आदिवासी पीछे से आया और उसने उसे पकड़ कर नीचे गिरा दिया और उसका गला दबाया तो वह धबरा गई और चिल्ला नहीं पाई। अच्छेलाल ने उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया और उससे बोला कि घर पर किसी को बताया तो उसे जान से खत्म कर देगा। फिर वह अपने घई आई तो घर पर उसकी छोटी बहन थी जिसको उसने सारी बात बताई। उसकी मां उसकी बडी बहन घर पर थी तथा पिता जी दिल्ली मजदूरी करने गये थे तब उसने पूरी बात अपने पिता एवं मां को फोन पर बताई। उसकी माता पिता के घर पर न होने के कारण उस दिन रिपोर्ट करने नहीं आ सकी आज पिता के दिल्ली से घर आने पर अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट करने आयी है। अभियोक्त्री के उक्त लिखित आवेदन के आधार पर थाना भगवां में अपराध क्रमांक 192/2022 अन्तर्गत धारा 376,506 भा.दं.सं. एवं धारा 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गई। विवेचना के

दौरान अभियोक्त्री एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया अभियोक्त्री की प्रथम दाखिला पंजी जप्त कर जप्ती पत्र तैयार किया गया। अभियुक्त को गिरफतार कर उसका मेडीकल परीक्षण कराया गया। अभियुक्त एवं अभियोक्त्री की स्लाइड जप्त कर जप्ती पत्र तैयार किया जाकर एफ.एस.एल. जांच हेतु एफ.एस.एल. जांच हेतु एवं डी.एन.ए. परीक्षण हेतु भेजा गया। रिपोर्ट प्राप्त होने पर एवं विवेचना की कार्यवाही पूर्ण होने पर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

03. विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 376,506 भाग–2 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 की धारा 3 सपठित धारा 4 के अन्तर्गत आरोप विरचित कर पढकर सुनाये समझाये गये, तो आरोपी ने आरोपों से इंकार किया और विचारण की मांग की तदनुसार आरोपी का अभिवाक अंकित किया गया ।

04. अपीलार्थी/आरोपी के विरूद्ध अभिकथित आरोपों को प्रमाणित करने के लिये 12 अभियोजन साक्षीगण को परीक्षित कराया गया एवं प्र.पी.01 से प्र.पी. 26 तक के दस्तावेज प्रदर्शित किये गये। अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के उपरान्त अपीलार्थी/आरोपी का धारा 313 द.प्र.स. के अन्तर्गत परीक्षण किया गया जिसमें आरोपी ने व्यक्त किया कि वह निर्दोष है, उसे झूठा फसांया है। अपीलार्थी/आरोपी ने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है।

05. विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का मूल्याकंन करते हुये अपीलार्थी/आरोपी को भा.दं.सं. की धारा 376 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराते हुये उपरोक्तानुसार दण्डादेश से दंडित किया है।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क :–

06. अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान मामले में दिनांक 29.09.2022 की घटना है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 01.10.2022 को लेख कराई गई है। उक्त विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। अभियोक्त्री के माता पिता अगले दिन ही आ गये थे तथा उसके भाई चाचा चाची घर पर थे। इसके अलावा वर्तमान मामले का घटना स्थल खुला स्थान होना घटना स्थल पर झाड़िया/घटना स्थल पथरीली जगह होना प्रमाणित है। लेकिन डा. आयूषी सिंह के कथन से यह स्पष्ट है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई आंतरिक व बाह्य चोट नहीं आयी थी, और अभियोक्त्री का हाईमन पुराना फटा हुआ था। अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि घटना स्थल को देखते हुये अभियोक्त्री के शरीर पर चोट आनी थी। उपरोक्त आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि उपरोक्त से दर्शित होता है कि वर्तमान मामला सहमति का है क्योंकि अन्य लोगों ने देख लिया था इसलिये रिपोर्ट लेख कराई गई है। अतः अपीलार्थी/आरोपी की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किये जाने एवं आरोपी को दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

प्रत्यर्थी/शासन के विद्वान अधिवक्ता के तर्क :–

07. प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि घटना के समय अभियोक्त्री के माता पिता बाहर गये थे इसलिये रिपोर्ट लिखाने में विलम्ब हुआ है। वर्तमान मामला सहमति का नहीं है। डी.एन.ए. रिपोर्ट सकारात्मक है। अभियोक्त्री एवं अन्य अभियोजन साक्षी ने अभियोजन के कथानक का समर्थन किया है। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को उचित रूप से दोषी पाते हुए दण्डित किया है। उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

08. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने गए। प्रकरण का अवलोकन किया गया।

विश्लेषण एवं निष्कर्ष :–

09. जहां तक मुख्य घटना का प्रश्न है? अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री (अ.सा. 1) का मुख्य परीक्षण में कथन है कि घटना दिनांक 29.09.2022 की होकर सुबह साढे पांच बजे की है। वह शौंच के लिये खंदिया की टोरिया पर गयी थी, जब वह लैट्रिन करके वापिस आ रही थी तभी आरोपी अच्छेलाल ने पीछे से पकड लिया था और उसे नीचे गिराकर उसका गला दबा दिया था, तब वह घबड़ा गई थी और उसके बाद आरोपी ने उसके साथ बलात्कार किया था। आरोपी ने उससे कहा था कि यदि उक्त बात अपने घर पर बताओगी तो जान से खत्म कर देगा। उसके बाद वह अपने घर पर आई और अपनी छोटी बहन को घटना के बारे में बताया था। घटना दिनांक को उसकी मां उसक बडी दीदी के यहां गयी थी एवं पिता बाहर दिल्ली मजदूरी के लिये गये थे। उसने घ टना के बारे में घटना दिनांक को ही अपने माता पिता को फोन से बताया था। वह घ टना दिनांक को रिपोर्ट करने इसलिये नहीं गयी थी कि घर पर उसके मम्मी पापा नहीं

थे। दिनांक 01.10.2022 को उसके पिता दिल्ली से वापिस आ गये थे उसके बाद उनके साथ रिपोर्ट लिखाने पुलिस थाना भंगवा गयी थी। जहां उसने एक लिखित आवेदन प्र.पी. 01 का दिया था। जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 2 की लेख की गई थी। उसका जिला अस्पताल छतरपुर में मेडीकल परीक्षण हुआ था जिसके सम्बन्ध में उसने सहमति दी थी। पुलिस ने उसके बडामलहरा न्यायालय में धारा 164 द.प्र.स.के कथन कराये थे जो प्र.पी. 8 है।

10. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री की मां (अ.सा.2) एवं अभियोक्त्री की बहन (अ.सा.3), एवं अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.8) ने भी अभियोक्त्री के कथन के लगभग अनुरूप कथन किया है। अतः विचारणीय है कि क्या उक्त अभियोजन साक्षीगण प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरे उतरे है और विश्वसनीय साक्षी है। उक्त सम्बन्ध में उक्त अभियोजन साक्षीगण के प्रतिपरीक्षण में के सुसंगत कथनों को निर्दिष्ट किया जाना उचित होगा।

11. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री की विश्वसनीयता के सम्बन्ध में उसके प्रतिपरीक्षण में के कथन सुसंगत है। अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण के पैरा–5 में यह कथन किया है कि घटना के दो दिन पूर्व उसकी मां उसकी बडी बहन के यहां गयी थी। वह नहीं बता सकती कि उसके घर से उसी बडी बहन की ससुराल कितने किलोमीटर दूर है। उसके घर से घटना स्थल की दूरी लगभग 150–200 मीटर दूर है। घटना दिनांक को घर पर उसका छोटा भाई और बहन थी। उसके घर में शौचालय नहीं है। वह शौंच के लिये 5 बजकर 10–15 मिनट पर गयी थी। घटना के समय थोडा सवेरा हो गया था। रिपोर्ट लिखाने के लिये उसके माता पिता साथ गये थे। प्र.पी. 01 का आवेदन थाने

पर लिखा गया था, उसने उस पर हस्ताक्षर किये थे। उसकी छोटी बहन ने 10—15 मिनट बाद मम्मी को फोन लगाया था, उसकी मम्मी घटना दिनांक को करीब 11 बजे घ ार आ गयी थी। यह कहना सही है कि खंदिया टोरिया से होते हुये सजारा बाद के लिये रास्ता गया हुआ है, आगे जाकर वन्य गावं है। यह कहना सही है कि उक्त रास्ता दिन भर चलता रहता है। यह कहना सही है कि खदिया के पास एक नल है । यह कहना सही है कि उक्त नल पर लोग नहाते धोते है। खदिया के पास खेत भी लगे हुये है खेत किसके है इसकी जानकारी उसे नहीं है। यह कहना सही है कि अवधबिहारी महाराज का कुआ, पन्ना लोधी का खेत भी खंदिया के पास है।

12. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि उसके पिता जी तीन भाई है। उसके सभी चाचा लोगों की शादी हो गयी है। उसके चाचा गांव में ही रहते है और उनके घर के पास ही रहते है। उसके दादा दादी है जो छोटे चाचा के साथ रहते है। उसके घर के बगल में उसके मझले चाचा रहते है उन्ही के साथ उसके दूसरे चाचा रहते है। उसका उसकी दादा दादी के यहां आना जाना नहीं रहता है। उसके चाचा के बच्चे तथा बच्ची है। उसकी मां उसकी बडी बहन के यहां 28 तारीख को गयी थी तथा उसके पिता जी घटना के एक डेढ महीने पहले दिल्ली गये थे। ऐसा नहीं है कि जब वह शौंच के लिये गयी थी उस समय उसकी मां घ ार पर ही थी। उसने अपने बड़ामलहरा न्यायालय में धारा 164 द.प्र.स. के कथन प्र.पी. 8 में यह नही बताया था कि वह घर आई तो उसे पता चला कि उसकी मम्मी बडी दीदी के यहां गयी है। स्वतः कहा कि उसकी मां एक दिन पहले गयी थी। उसकी मां उसके दादा दादी और चाचा चाची में से किसी को बताकर बडी बहन के यहां नहीं गयी थी।

उसके दो भाई है जो उससे छोटे है। सबसे छोटा भाई घर पर था और बडा भाई पापा के साथ दिल्ली गया था।

13. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि जिस समय की उसने घटना बतायी है उस समय नौदुर्गा कासमय चल रहा था। यह कहना सही है कि नौदुर्गा के समय गांव की महिलाएं सुबह चार पांच बजे नहा धोकर देवी जी के दर्शन करने तथा जल चढाने जाती है। फिर कहा कि छः सात बजे जाती है। यह कहना सही है कि जिस जगह की वह घटना बता रही है उस जगह पर बगराजमाता का चबूतरा है । यह कहना सही है कि गांव के लोग व औरते बगराजमाता को जल चढाने जाती है। उसके जानकारी नहीं है कि बगराजमाता का चबूतरा गांव से कितनी दूरी पर है। उसे जानकारी नहीं है कि गांव से बजराजमाता के चबूतरे तक जाने में कितना समय लगता है। यह कहना सही है कि बागराजमाता के चबूतरे वाले रास्ते पर आना जाना बना रहता है और उस पर आवागमन बना रहता है। यह कहना सही है कि खदिया की टोरिया पर गांव के अन्य लोग एवं महिलाएं शौंच के लिये जाती है । खदिया की टोरिया पर शौंच के लिये गावं के लोग सुबह पांच बजे से जाने लगते है। उसे जानकारी नहीं है कि उसके घर से बागराजमाता का चबूतरा कितनी दूरी पर है। बगराजमाता के चबूतरे तक पहुंचने में रास्ते में हरीराम, मोहन के घर मिलते है। उक्त लोग अपने परिवार सहित ही निवास करते है। सभी लोग उसके घर के पास ही निवास करते है। उक्त लोग उसके परिवार के नहीं है। उसके जानकारी नहीं है कि जिस समय की वह घटना बता रही है उस समय गावं के कितने लोग घटना स्थल के आस पास शौंच के लिये गये थे।

14. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि वह अपने घर से लगभग सवा पांच बजे शौंच के लिये गयी थी। उसे पता नहीं है कि रास्ते में कितने लोग मिले थे। उसके घर से अभियुक्त का घर काफी दूर है । वह आज अंदाज से नहीं बता सकती कि कितनी दूरी पर है। अभियुक्त का घर उसके घर से दूसरे मोहल्ले में पडता है, वह उसके मोहल्ले में नहीं रहता है। यह कहना सही है कि उसके घर से खदिया की टोरिया पर जाने में अभियुक्त का मोहल्ला नहीं मिलता है। यह कहना सही है कि वह अभियुक्त को जानकारी देकर शौंच के लिये नहीं गयी थी। स्वतः कहा कि वह क्यों जानकारी देगी। उसके साथ मोहल्ले की कोई लडकी नहीं गयी थी वह अकेली ही गयी थी। उसे आज याद नहीं है कि लौटते समय उसे रास्ते में गावं के कौन कौन लोग व महिलाएं मिली थी । यह कहना सही है कि लौटते समय उसे रास्ते में गावं के लोग व महिलाएं मिली थी। यह कहना सही है कि उसे गांव की महिलाएं व लड़किया शौंच जाते समय रास्ते में मिली थी। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर पहाडी की पथरीली जमीन है। यह कहना सही है कि घटना स्थल पर पेंडो की झाड़िया व कांटे भी है। वह जमीन पर जोर से गिरी थी । यह कहना सही है कि उसे उसे गिरने से कोई चोट नहीं आयी थी। वह चूड़िया नहीं पहनती है । वह सलवार कुर्ता पहनकर गयी थी। यह कहना सही है कि उसके कपउे नहीं फटे थे। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई घटना नहीं हुयी इसलिये उसे कोई चोट नहीं आयी थी। यह कहना सही है कि उसने घटना के बारे में अपने दादा–दादी चाचा–चाची को नहीं बताया था। उसे याद नहीं है कि थाने वह कितने बजे पहुंच गई थी। उसके पापा

दिनांक 30.09.22 को घर आ गये थे। उसने जो थाने में मौखिक रिपोर्ट लिखायी थी वह घर से लिखकर नहीं ले गयी थी।

15. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षण में आगे यह भी कथन किया है कि उसने पहले थाने में रिपोर्ट लिखायी थी यह कहना गलत है कि उसके माता तिपा ने जैसा बताया था वैसा उसने प्र.पी. 8 में बताया था। यह कहना गलत है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 02 एवं पुलिस कथन में मम्मी पापा के कहे अनुसार उसने असत्य घ ाटना लेख करायी है। यह कहना गलत है कि उसके साथ कोई घटना घटित नहीं हुई है इसलिये उसने परिवार के किसी व्यक्ति को एवं रास्ते में मिलने वाली महिलाओं व लडकियों को कोई जानकारी नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि वह आज वह अपने मम्मी पापा के कहने पर झूठे बयान दे रही है। वह शौंच के लिये आम रास्ते से इतनी दूर थी जितना न्यायालय से बाहर का गेट है। यह कहना गलत है कि रास्ते में आने जाने वाली महिलाएं व लडकियां भी आसपास थी। शौंच करके वह 10—15 फिट की दूरी तक आ पाई थी। वह शौंक के लिये लोटा लेकर नहीं गयी थी बोतल लेकर गयी थी। आरोपी उसके गांव का है इसलिये वह उसे जानती है। घटना के पूर्व कभी उससे उसकी बात नहीं हुई थी। आरोपी उसके घर कभी नहीं आया और वह आरोपी के घर कभी नहीं गयी।

16. इस प्रकार अभियोक्त्री के सम्पूर्ण कथन, विशेषकर प्रतिपरीक्षण में के कथनों, से दर्शित होता है कि उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आये है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि अभियोक्त्री विश्वसनीय साक्षी नहीं है या अन्यथा उसकी परिसाक्ष्य संदेहास्पद है। इसके अलावा अभियोक्त्री के न्यायालयीन कथन एवं पुलिस कथन में ऐसे

कोई तात्विक विरोधाभास, विंसगतियां या लोप नहीं है जो मामले की जड तक जाते हो और अभियोक्त्री को अविश्वसनीय बनाने के लिये पर्याप्त हो। न्यायालय में मत में अभियोक्त्री प्रतिपरीक्षा की कसौटी पर पूरी उतरी है और वह पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी है।

17. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री के माता पिता एवं बहन के कथन से दर्शित होता है कि वे घटना के चक्षुदर्शी साक्षी नही है और उन्हें घटना के सम्बन्ध में अभियोक्त्री द्वारा बताया गया है।

18. यह सही है कि प्र.पी. 1 की लिखित रिपोर्ट के आधार पर प्र.पी. 2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 29.09.2022 की घटना के सम्बन्ध में दिनांक01.10.2022 को लेख कराई गयी है। स्पष्टतः घटना के समय अभियोक्त्री के माता पिता घर पर नहीं थे। अभियोक्त्री, उसके माता पिता तथा बहन के कथन तथा प्र.पी. 1 एवं 2 में वर्णित तथ्यों को देखते हुये यह नहीं कहा जा सकता है कि घटना की रिपोर्ट लिखाने में कोई अयुक्तियुक्त विलम्ब हुआ है ।

19. अतः न्यायालय का मत है कि वर्तमान मामले में रिपोर्ट लिखाने में कोई अयुक्तियुक्त विलम्ब नहीं हुआ है और जो विलम्ब हुआ है, उसका संतोषप्रद स्पष्टीकरण अभिलेख पर है। अभियोक्त्री के न्यायालयीन कथन, प्र.पी. 1 एवं प्र.पी.2 की रिपोर्ट में कोई तात्विक विरोधाभास, विसंगतियां या लोप नहीं है। अतः प्र.पी. 1 की रिपोर्ट से भी अभियोक्त्री के कथनों की तात्विक विशिष्टियों में सम्पुष्टी होती है।

20. इसके अलावा उपरोक्त सम्बन्ध में अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क/बचाव महत्वपूर्ण है। अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से दर्शित होता है कि उनका एक मात्र तर्क/बचाव यह है कि वर्तमान मामला सहमति का है

क्योंकि घटना स्थल को देखते हुये अभियोक्त्री के शरीर पर चोटें आनी थी लेकिन कोई चोट अभियोक्त्री के शरीर पर नहीं आयी है और घटना स्थल सार्वजनिक स्थान है और घटना को अन्य लोगों ने देख लिया था इसलिये रिपोर्ट लिखायी गई है। धारा 313 द.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त के परीक्षण एवं अभियोजन साक्षीगण, विशेषतः अभियोक्त्री, के प्रतिपरीक्षण से दर्शित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी/आरोपी का ऐसा कोई बचाव नहीं है और न ही किसी भी अभियोजन साक्षी को विशेषतः अभियोक्त्री को प्रतिपरीक्षण में ऐसा कोई सुझाव दिया गया है कि अपीलार्थी/आरोपी एवं अभियोक्त्री के घटना के पूर्व से सम्बन्ध थे/प्रेम सम्बन्ध थे। अपीलार्थी/आरोपी की ओर से अभियोजन साक्षीगण को प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझावों से यह किंचित भी दर्शित नहीं होता है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला है बल्कि अपीलार्थी/आरोपी द्वारा विचारण न्यायालय में लिये गये बचाव और अभियोजन साक्षी को प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव उपरोक्त बचाव/तर्क के प्रतिकूल होना दर्शित होता है।

21. अभियोजन साक्षी डा. आयूषी सिंह (अ.सा.7) लैब टैक्नीसियन अमित कुमार असाटी (अ.सा.6), आवेश सिंह (अ.सा.9) उपनिरीक्षक एम.एल.चौधरी (अ.सा.10) डा. के.पी. बामोनिया(अ.सा.12) आदि के कथन तथा प्र.पी. 22 ,23, प्र.पी. 17 प्र.पी.13 प्र.पी. 25 आदि के दस्तावेजो से दर्शित होता है कि प्रकरण में डी.एन.ए. परीक्षण हुआ है और प्र.पी. 23 की डी.एन.ए. रिपोर्ट अभिलेख पर है जिससे दर्शित होता है कि अभियोक्त्री के स्त्रोत (प्रदर्श बी) से प्राप्त पुरूष मिश्रित Autosomal STR DNA Profile में आरोपी अच्छेलाल आदिवासी के स्त्रोत (प्रदर्श सी) से प्राप्त Autosomal STR DNA Profile भी उपस्थित है। अन्यथा भी अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क से दर्शित होता है कि उन्होंने

अभियोक्त्री एवं आरोपी के मध्य शारीरिक सम्बन्ध स्थापित होने से इंकार नहीं किया है । उनका केवल बचाव यह है कि यह सहमति का मामला है।

22. यह सही है कि अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री एवं डा. आयूषी सिंह के कथन तथा अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि घटना में अभियोक्त्री के शरीर पर आंतरिक एवं बाह्य किसी प्रकार की कोई चोट नहीं आयी है और घटना में उसके कपडे भी नहीं फटे है। यह भी सही है कि घटना स्थल सार्वजनिक स्थान है और अभियोक्त्री के प्रतिपरीक्षण के पैरा –15 से दर्शित होता है कि घटना स्थल पर झाड़ झाड़िया व कांटे भी है। उक्त आधार पर आरोपी का बचाव है कि यह सहमति का मामला है।

23. उक्त बचाव के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि वर्तमान प्रकरण में अभियोजन के मामले एवं उभय पक्ष के चिकित्सीय परीक्षण तथा डी.एन.ए. रिपोर्ट से वर्तमान घटना अभिकथित दिनांक, समय एवं स्थान पर होना दर्शित है। अपीलार्थी/आरोपी के विद्वान अधिवक्ता ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य को निर्दिष्ट करते हुये या अन्यथा यह स्पष्ट नहीं किया है कि यदि वर्तमान घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियोक्त्री व आरोपी के शारीरिक सम्बन्ध स्थापित नहीं हुये थे और प्र.पी. 23 की डी.एन.ए. रिपोर्ट उक्त सम्बन्ध में नहीं है तो आरोपी एवं अभियोक्त्री के मध्य शारीरिक सम्बन्ध किस दिनांक समय व स्थान पर स्थापित हुये है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में घटना में अभियोक्त्री को चोट नहीं आने से या कपडे नहीं फटने से वर्तमान मामला सहमति का मामला होना दर्शित नहीं होता है।

24. जहां तक अपीलार्थी/आरोपी को प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किये जाने का प्रश्न है ? अपीलार्थी/आरोपी द्वारा धारा 313 द.प्र.स. के अन्तर्गत परीक्षण में कथन किया है

कि मजदूरी के पैसों के लेनदेन के विवाद और पुरानी रंजिश के कारण उसे झूठा फसाया गया है। अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा –20 में कथन किया है कि यह कहना सही है कि उसकी मां, गोराखदान में मजदूरी का काम करती थी। उसे जानकारी नहीं है कि आरोपी भी उक्त खदान में काम करता था। यह कहना सही है कि आरोपी की मजदूरी का पैसा उसकी मां ने ले लिया था। यह कहना गलत है कि उसकी मां से आरोपी बार बार पैसा मांगता था । यह कहना गलत है कि पैसा मांगने पर से आरोपी से उसके मम्मी पापा का झगडा हुआ था। यह कहना गलत है कि उसके मम्मी पापा को आरोपी ने गांलियां दी थी । यह कहना गलत है कि उसकी मम्मी ने पापा को फोन किया था कि आरोपी उनसे बार बार पैसा मांगता है । यह कहना गलत है कि उसके पापा ने कहा था कि मैं आता हूं और उसको देखता हूं । यह कहना गलत है कि उसके पापा ने आकर मुझसे झूठी रिपोर्ट करायी है।

25. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री की मां (अ.सा.2) ने पैरा 12 में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि वह गौरा खदान में मजदूरी करने जाती थी। यह कहना गलत है कि उसने अच्छेलाल की मजदूरी का पैसा ले लिया था। यह कहना गलत है कि आरोपी उससे बार बार पैसा मांगता था। यह कहना गलत है कि इसी बात से उसकी आरोपी से लडाई हुई थी। यह कहना गलत है कि इसी बुराई पर से उसने आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट की है। यह कहना गलत है कि कि उसने पुलिस से मिलकर झूठा मुकदमा बनवाया है। यह कहना गलत है कि पैसा न देना पडे इसलिये वह आरोपी के खिलाफ झूठे बयान दे रही है। यह कहना गलत है कि घटना झूठी थी इसलिये उसने घटना के बारे में अपने परिवार वालों को नहीं बताया था।

26. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री की बहन (अ.सा.3) ने अपने कथन के पैरा 05 में कथन किया है कि यह कहना गलत है कि पैसों के लेनदेन से उसकी मां की आरोपी से बुराई थी। यह कहना गलत है कि इसी बुराई पर से आरापी के खिलाफ झूठा मामला बनवाया है। यह कहना गलत है कि वह अपनी मां के समझाये आज झूठे बयान दे रही है। यह कहना गलत है कि आरोपी ने कोई घटना कारित नहीं की ।

27. अभियोजन साक्षी अभियोक्त्री के पिता (अ.सा.8) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा 11 एवं 12 में कथन किया है कि उसने इसके पहले पुलिस व अन्य जगह कोई जानकारी नहीं दी थी। यह कहना गलत है कि उसकी पत्नी गौरा खदान में मजदूरी करने जाती थी। यह कहना गलत है कि उसकी पत्नी ने आरोपी अच्छेलाल की मजदूरी का पैसा ले लिया था। यह कहना गलत है कि उसकी पत्नी ने फोन करके उससे कहा था कि आरोपी अच्छेलाल उससे बार बार पैसा मांगता है। यह कहना गलत है कि उसने घर आकर रात्रि में आरोपी को फसांने की पत्नी के साथ योजना बनायी थी। यह कहना गलत है कि इसके पश्चात उसने व उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री को लिखाया पढाया था। यह कहना गलत है कि उसने और उसकी पत्नी ने अभियोक्त्री से कहकर दूसरे दिन आरोपी की झूठी शिकायत करायी।

28. इस प्रकार अपीलार्थी/आरोपी द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष एवं इस न्यायालय के समक्ष परस्पर विरोधाभासी बचाव लिया गया है। एक ओर अपीलार्थी/आरोपी का बचाव है कि उसे प्रकरण में रंजिशन मिथ्या आलिप्त किया गया है और दूसरी और यह भी बचाव लिया गया है कि वर्तमान मामला सहमति का मामला है।

29. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के आधार पर, न्यायालय का मत है कि अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से वर्तमान मामला सहमति का मामला होना प्रमाणित नहीं है। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी प्रमाणित नहीं है कि प्रकरण में अपीलार्थी/आरोपी को मिथ्या आलिप्त किया गया है। वर्तमान मामले में अभियोक्त्री पूर्णतः विश्वसनीय साक्षी होना दर्शित है, उसकी परिसाक्ष्य की तात्विक विशिष्टियों में समपुष्टि अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य,विशेषतः डी.एन.ए. रिपोर्ट, से होती है। न्यायालय के मत में विद्वान विच. ारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की समुचित विवेचना करते हुये न्यायोचित निष्कर्ष निकाला है और उसमें हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य या आधार नहीं है।

30. परिणामतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी/आरोपी के विरूद्ध ध ारा 376 भा.दं.सं. के अन्तर्गत की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है।

31. जहां तक दण्डादेश का प्रश्न है ? विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी/आरोपी को धारा 376 भा.द.सं. के अपराध में दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रूपये अर्थदण्ड व अर्थदण्ड के व्यतिकृम में 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दंडादेश न्यूनतम दण्डादेश है। प्रकरण में अपीलार्थी/आरोपी के विरूद्ध साबित अपराध की प्रकृति को देखते हुये विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा अधिरोपित दण्डादेश पूर्णतः न्यायोचित है।

32. अतः निर्णय के पूर्ववर्ती पैराओं में की विवेचना के आधार पर अपीलार्थी/आरोपी के द्वारा प्रस्तुत अपील दोष सिद्धि एवं दण्डादेश दोनों बिन्दु पर निरस्त की जाती है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं दण्डादेश की सम्पुष्टि की जाती है।

33. निर्णय की एक प्रति तत्काल संबधित जेल को अपीलार्थी/आरोपी को अवगत कराने हेतु प्रेषित की जाये।

34. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय का अभिलेख अविलम्ब सम्बंधित विचारण न्यायालय को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भेजा जावे।

35. अपीलार्थी/आरोपी द्वारा प्रस्तुत अपील उपरोक्तानुसार निराकृत की गयी।

(अचल कुमार पालीवाल)

न्यायाधीश

MANZOOR AHMED
2025.06.20 17:51:25 +05'30'
राजेश जायसवाल